

19.6.2024

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोंही अनुपस्थित। प्रतिवादी प्रभुभाई पुत्र टीलाभाई देवासी, जाति- देवासी, निवासी- कपासीया, तहसील- अमीरगढ़, जिला- बनासकांठा (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म श्री होटल जुझार, पूजा पेट्रोल पम्प के पास, करोंटी-आबूरोड़ रोड़, करोंटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोंही उपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.9.2023 को फर्म होटल जुझार, करोंटी-आबूरोड़ रोड़, करोंटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोंही में प्रतिवादी प्रभुभाई पुत्र टीलाभाई देवासी, जाति- देवासी, निवासी- कपासीया, तहसील- अमीरगढ़, जिला- बनासकांठा (गुजरात) से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2206 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./2554/Act/2023/2597 दिनांक 29.9.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 19.6.2024 को प्रतिवादी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी प्रभुभाई को दिनांक 19.6.2024 को ही सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसने पनीर में कोई मिलावट नहीं की है व लोगों से दूध क्रय कर पनीर बनाता है। उसका व्यापार छोटा सा है, भविष्य में ऐसी खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोंही द्वारा दिनांक 13.9.2023 को फर्म श्री होटल जुझार, पूजा पेट्रोल पंप के पास, करोंटी-आबूरोड़ रोड़, करोंटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोंही में खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के दौरान होटल जुझार के अन्दर खाद्य सामग्री निर्माण स्थल में रखे हुये खाद्य पदार्थ पनीर लगभग 3 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य पदार्थ पनीर में से एक किलोग्राम पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,

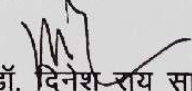
.....लगातार



बि. वि. वि. वि.
सिरोंही-307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.44/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली भिगोनें में कीमतन क्रय किया एवं खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर को हिला मिलाकर एकरूप कर चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 20-20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाइट बन्द कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता प्रभुभाई व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपड़ी किया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ पनीर की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता प्रभुभाई व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये हैं। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.9.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ तोमर, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को दिनांक 14.9.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री होटल जुझार, करोटी-आबूरोड़ रोड़, करोटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता प्रभुभाई पुत्र टीलाभाई देवासी से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना लगातार	

वति. जिला न्यायालय
सिरौही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.44/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	संख्या S-2206 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./2554/Act/2023/2597 दिनांक 29.9.2023 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रभुभाई ने अमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। आदेश अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर के विक्रय हेतु प्रतिवादी प्रभुभाई पुत्र टीलाभाई देवासी, जाति- देवासी, निवासी- कपासीया, तहसील- अमीरगढ़, जिला- बनासकांठा (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म श्री होटल जुझार, पूजा पेट्रोल पम्प के पास, करोंटी-आबूरोड़ रोड़, करोंटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी प्रभुभाई पुत्र टीलाभाई देवासी, जाति- देवासी, निवासी- कपासीया, तहसील- अमीरगढ़, जिला- बनासकांठा (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म श्री होटल जुझार, पूजा पेट्रोल पम्प के पास, करोंटी-आबूरोड़ रोड़, करोंटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 16.7.2024 को पेश हो।  (डॉ. दिनेश राय सापेला) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	